

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

वाद सं० एम 85 / 2023-24

प्रथम पक्ष विजय सिंह

धारा 144 दं० प्र० सं०

बनाम

द्वितीय पक्ष मनबोध साहु

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तारीख
	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं०- 06 / 2023 दिनांक 28.10.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष :- (1) विजय सिंह उम्र करीब 52 वर्ष, पिता- स्व० अनुरोध सिंह, ग्राम- केदली, पाकरटोली, थाना- बसिया जिला- गुमला बनाम द्वितीय पक्ष:- (1) मनबोध साहु उम्र करीब 25 वर्ष, पिता- लालधारी साहु, ग्राम- केदली, पाकरटोली थाना- बसिया, जिला- गुमला के बीच मौजा- केदली, थाना- बसिया के खाता सं० 9093 प्लॉट सं० 564 रकबा 1.96 एकड़ पर दोनों पक्षों के बीच कब्जा एवं मकान बनाने को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं० प्र० सं० की धारा 144 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा अन्य स्त्रोतो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 9/11/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला) 9/11/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला)	